"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2010—पौष 2, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

1. नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(क) सीधी भर्ती से मेरिट आधार पर"

2. नियम 6 के उपनियम (7) के खण्ड (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) का लोप किया जाए.

3. नियम 6 के उपनियम (7) के खण्ड (च) के उपखण्ड (एक) से (दस) का लोप किया जाए.

4. अनुसूची चार के कॉलम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात् :—
   1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा आयुक्त/संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो उप संचालक के पद से निम्न का न हो. — अध्यक्ष

2.	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त, आदिवासी विभाग	—	सदस्य
3.	नगरपालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायत के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.)	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-42/2006/18 दिनांक 23-12-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd December 2010

NOTIFICATION

No. F-4-42/2006/18.—In exercise of the powers conferred by Section 58 read with section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) and Section 95 read with section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the state Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Shikshankarmi (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For clause (a) of sub-rule (1) of Rule 6, the following clause shall be substituted, namely :—
   "(a) From Direct Recruitment on merit basis."

2. Clause (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (7) of Rule 6 shall be omitted.

3. Sub-clause (i) to (x) of clause (f) of sub-rule (7) of Rule 6 shall be omitted.

4. For column (5) of Schedule-IV, the following entries shall be added, namely :—

"1.	Joint Director/Deputy Director Urban Administration and Development or Commissioner/Officer nominated by Directorate Urban Administration & Development not less than the post of Deputy Director.	—	President
2.	District Education Officer/Assistant Commissioner, Tribal Department.	—	Member
3.	Commissioner/Chief Municipal Officer (C.M.O.) of Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat."	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.